न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 11/2016
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 01/02/2016
निर्णय दिनांक : 18/9/19

1. गोरधन पुत्र श्री रामगोपाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
2. रामस्वरूप पुत्र श्री रामगोपाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री गिरधारीलाल वर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 18/9/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 281 के आराजी खसरा नम्बर 1184 रकबा 7.5900 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे वादीगण मुताबिक साबिक जमाबन्दी के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा इसी अनुसार काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहे हैं। उक्त आराजयात पूर्व में वादीगण के पिता रामगोपाल की खातेदारी की आराजीयात रही है जिसके साबिक खसरा नम्बर 669/1/3 रकबा 30 बीघा रहे है, वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 1304 दिनांक 23/05/1994 के प्राप्त हुई है, जिसका राजस्व अभिलेखों साबिक जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में वादीगण के नाम से इन्द्राज दर्ज हो चुका था तथा वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में हाल सैटलमेन्ट हुआ, उसमें वादीगण का नाम दर्ज नही किया गया, जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार वादीगण का नाम दर्ज हैं। इस प्रकार उक्त त्रुटि हुई है, जो मात्र हाल सैटलमेन्ट के कारकुनानों द्वारा हुई है, जो काबिले दुरूस्तनीय हैं। अभी हाल ही में वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जमाबन्दी की नकल दिनांक 14/01/2016 को प्राप्त करने पर वादीगण को उक्त नाम अंकित नही होने की जानकारी हुई इस पर वादीगण ने तहसीलदाजी एवं पटवार हल्का को हिस्सा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया, जिन्होनें माननीय न्यायालय में चाराजोंही करने की हिदायत दी, जिससे उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो में वादीगण साबिक जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में दर्ज हिस्से अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार नवीन रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 08/05/2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मंमाणा में पेश हुई। तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

दिनांक 01/04/2019 को वादी की ओर से गवाह राधेश्याम व बजरग के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2050–2053, मिलान क्षैत्रफल, वकालतनामा, जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 तथा तहसीलदार दूदू द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2050–2053 के खाता संख्या 308/1 के आराजी खसरा नम्बर 669/1/3 रकबा 30 बीघा में अन्य खातेदारान के साथ खातेदार रामगोपाल पुत्र रामाकिशन कौम ब्राहाम्ण के नाम से दर्ज है, जो जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 1304 दिनांक 23/05/1994 को गोरधन व रामस्वरूप

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पुत्रान रामगोपाल के नाम से दर्ज किया गया हैं, जो कि उक्त प्रकरण के वादीगण है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बर 669/1/3 के हाल खसरा नम्बर 1184 रकबा 7.5900 हैक्टेयर बनना पाया जाता हैं, जबकि हाल खसरा नम्बर 1184 रकबा 7.59 हैक्टेयर की हाल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 में वादीगण का नाम दर्ज नही हैं, जबकि साबिक रिकार्ड में नाम दर्ज है, जिससे यह पाया जाता है कि उक्त त्रुटि मात्र बीघा से हैक्टेयर में रकबा कायम करते समय सहवन से सैटलमेन्ट कारकुनानों की भूलवश हुयी हैं। तहसीलदार दूदू ने अपनी रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि "ग्राम ममाणा के साबिक खसरा नम्बर 669/1/3 रकबा 30 बीघा में वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात में विरासत नामान्तरकरण संख्या 1304 दिनांक 23/05/1994 से प्राप्त हुई है, जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 के खाता संख्या 308/1 में वादीगण के नाम से इन्द्राज दर्ज हो चुका हैं। अभी हाल ही में सैटलमेन्ट हुआ है, उसमें वादीगण का नाम दर्ज नही किया गया, जबकि साबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज था हाल सैटलमेन्ट के कारकुनानों द्वारा गलती से हुई है, जो दुरूस्तनीय योग्य हैं।" इस प्रकार तहसीलदार दूदू ने अपनी रिपोर्ट में उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अनुशंषा की हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1184 रकबा 7.5900 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर का वादीगण को मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू को पालनार्थ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत : न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S.

नाम सुगनचन्द 2. रामस्वरूप पुत्रान बनाम तहसीलदार तहसील दूदू
गोपाल जाट साकिन बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज
मौजा मकाणा मुकदमा न. 11/2016 साल

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गिरधारीलाल कनिष्ठ
मिनजानिब मुद्दई रूबरू
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
अतः वादीगण के वाद डिक्री किया जाकर आराजी नं. 1184 रकबा 7.5900 हे0 वाके ग्राम मकाणा तहसील दूदू जिला जयपुर में वादीगण को मुताबिक जमाबन्दी स0 2050 ता 2053 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुबलिग बाबत
इस मुकदमे के मय सूद बशरह फीसदी सालाना
अदायगी तक का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18-9-2019 माह
की गई।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

दस्तखत
ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner